



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल— 462 016 (म.प्र.)

फ़ोन: 0755-4278339, फैक्स: 2466191, फैक्स: 0755-2463742

ई-मेल: it_mppcb@rediffmail.com वेब: www.mppcb.nic.in

क्रमांक / स्था / प्रनिबो / 2016,

भोपाल दिनांक / / 2016

// कार्यालय आदेश //

“ईज़ ऑफ़ डूर्झग बिजिनेस” के सुझावों के क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में तथा बोर्ड के आदेश कं 710 तथा 712 दिनांक 01/06/16 के तारतम्य में 40 से अधिक तथा 60 से कम (इन्वायरन्मेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स) स्कोर वाली मीडियम रिस्क आरेंज इण्डस्ट्रीज हेतु Self certification के आधार पर Auto Renewal की सुविधा प्रदान की जाती है तथा इसमें निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा एक वर्ष के सम्मति नवीनीकरण हेतु वैद्य होगी।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

क्रमांक १२२ / स्था / प्रनिबो / 2016, भोपाल दिनांक ६/६/2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, ट्राईफेड, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सुश्री नेहा पंडित, को-आर्डिनेटर, ईज़ ऑफ़ डूर्झग बिजिनेस, म.प्र. शासन वाणिज्य, उघोग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त यूनिट हेड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
कृपया उपरोक्त आदेश की सूचना, प्रचार-प्रसार के माध्यम से सर्वसंबंधितों को पहुँचायें।
7. आई.टी.शाखा / आर्डर बुक / गार्ड नस्ति।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक

14.06.2016

अधिसूचना


क्रमांक: एफ 4(ई)1/2016/ए-16, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 18-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“18-ख, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति या एजेंसी जो भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुबाई द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिये अधिकृत घोषित किए गये हों, उन निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, कारखानों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होंगे”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,



(एम.के.वार्ष्य)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

**Government of Madhya Pradesh
Labour Department
Mantralaya, Bhopal**

14.03.2016
Date-----

NOTIFICATION


No. F- 4 (E)1/2016/A-XVI, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 8 and section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Factories Rule, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, after rule 18-A, the following rule shall be added, namely:-

"18-B. Notwithstanding anything contrary contained in these rules, any person or agency, which is so authorized by the Government of India, Ministry of Labour & Employment, Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai to conduct inspection under this Act, shall be authorised to conduct inspection subject to such restrictions as may be specified".

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh


(M.K.Varshney)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh
Labour Department